पत्र संख्या–वि0व0संग्रह / 2019–20 / 1581 / 192009 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक::28 फरवरी , 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) लखनऊ
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / कारपोरेट)
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण / कर वसूली)
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण)
समस्त संग्रह अधीक्षक / पर्यवेक्षक / अमीन,
वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश शासन ने वाणिज्य कर के बकायेदारों के हित में ब्याज माफी योजना–2020 दिनांक 27 फरवरी, 2020 से तीन माह तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम–1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम–1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम–1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम–2007 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम–2008 (VAT) एवं उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली,1997 में दिनांक 31.03.2019 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लम्बित ब्याज / अर्थदण्ड माफी योजना लागू की गयी है।

इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

- ब्याज माफी योजना के परिणाम स्वरूप व्यापारी अपना ध्यान जीएसटी पर केन्द्रित कर सकेंगे।
- व्यापारियो को उत्पीडनात्मक कार्यवाही से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी।
- बकाया जमा न करने के कारण लगाये गये अर्थदण्ड की पूर्ण माफी दी जाएगी।
- पारदर्शिता हेतु आवेदन केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जाएंगे।
- व्यापारियों के लिए प्रत्येक लोकेशन पर **"हेल्प डेस्क"** की स्थापना की जाएगी।
- अवशेष बकाया एवं देय ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र ग्राह्य होगा।
- दिनांक 31.03.2020 तक एकमुश्त मूल धनराशि एवं ब्याज जमा करने पर ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट की व्यवस्था है।

- बकाया धनराशि का एवं ब्याज की माफ न की जाने वाली धनराशि के मात्र न्यूनतम 25 प्रतिशत एकमुश्त जमा किये जाने पर अवशेष मूलधन एवं ब्याज की माफ न की जाने वाली अवशेष अधिकतम एक वर्ष की अवधि में चार त्रैमासिक अथवा बारह मासिक किश्त में जमा करने का विकल्प व्यापारी को उपलब्ध होंगे।
- त्रैमासिक किश्त की दशा में किश्तें 30 जून, 2020, 30 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर, 2020 एवं 31 मार्च, 2021 तक देय होंगी तथा मासिक किश्तों की दशा में योजना के चुनाव (opt) करने की तिथि के अगले प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक किश्त देय होगी। अधिकतम माह मई, 2021 तक अन्तिम किश्त की तिथि निर्धारित होगी ।
- ब्याज की गणना बकाया धनराशि एवं माफ न की जाने वाली धनराशि के न्यूनतम 25 प्रतिशत जमा करने की तिथि तक की जाएगी।

योजना के सफल क्रियान्वयन एवं व्यापारियों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने हेतु कार्य योजना/कार्य वितरण निम्नवत है:–

1. **अमीन/पर्यवेक्षक/संग्रह अधीक्षक :–**

विभागीय वसूली के जनपदों में प्रत्येक अमीन/पर्यवेक्षक/संग्रह अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त बकायादारों के वसूली प्रमाण पत्र सूची खण्ड कार्यालय से प्राप्त कर बकायेदार व्यापारियों को योजना से भलीभॉति अवगत करायेंगे तथा बकायेदार को योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। तात्पर्य यह है कि उपरोक्त समस्त कर्मचारीगण अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत जन सम्पर्क अभियान के माध्यम से योजना का विस्तृत प्रचार–प्रसार करेंगे। इस कार्य में खण्ड के असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी भी शामिल रहेंगे। इनके इस कार्य का पर्यवेक्षण सम्बन्धित खण्ड के खण्डाधिकारी एवं कर वसूली अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस आशय का एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें सम्बन्धित बकायेदार का नाम, पता, अद्यतन दूरभाष संख्या, फर्म का नाम, वसूली प्रमाण पत्र संख्या वर्ष एवं निहित मूल ब्याज एवं अर्थदण्ड की धनराशि आदि का पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा।

2. **डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी :–**

अमीन/पर्यवेक्षक/संग्रह अधीक्षक के प्रवेक्षणीय कार्य के अतिरिक्त उपरोक्त अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि योजना लागू होने के प्रथम सप्ताह में ही कार्यालय के समस्त वसूली प्रमाण पत्र उपरोक्त कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आशय का प्रमाण पत्र अपने एडीशनल कमिश्नर जोन को प्राप्त करायेंगे। अपने क्षेत्राधिकार में व्यापारी संगठनों से सम्पर्क कर योजना के लाभ से अगवत करायेंगे एवं अधिकाधिक राजस्व प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे।

राजस्व विभाग द्वारा वसूली के जनपदों में उपरोक्त अधिकारी राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे एवं राजस्व विभाग को योजना लागू होने के प्रथम सप्ताह में ही समस्त वसूली प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करायेंगे। विशेष रूप से

वैट एवं पूर्व की व्यवस्था से माइग्रेटेड बकायेदार व्यापारियों की सूची पूर्ण पते/बैंक एकाउण्ट आदि के पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराते हुए यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिलाधिकारी के लिए उपलब्ध विभागीय पोर्टल पर उपरोक्त प्रकार की समस्त वसूली प्रमाण पत्र दृष्टव्य हो। इस आशय का प्रमाण पत्र अपने एडीशनल कमिश्नर जोन को प्राप्त करायेंगे। योजना के सफल कियान्वयन हेतु जिला प्रशासन द्वारा वाहन के अनुरोध पर, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपने अधिक्षेत्र में ब्याज माफी योजना–2020 का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए जिला प्रशासन के सहयोग एवं समन्वय से अधिकाधिक वसूली सुनिश्चित करेंगे।

डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी के कार्य एवं प्रगति की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित ज्वांइट कमिश्नर(कार्यपालक) का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर इनके कार्य की समीक्षा करते हुए प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक खण्ड के प्रत्येक अधिकारी की रिपोर्ट जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से मुख्यालय के संग्रह अनुभाग को प्रत्येक शनिवार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

3. **ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट)/कर वसूली अधिकारी :–**

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट) अपने कार्यालय के समस्त बकायेदारों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करते हुए बकायेदारों को योजना के फायदों से अवगत कराते हुए बकायेदार को बकाया जमा करने हेतु प्रेरित करेंगे। प्रत्येक शनिवार सम्पर्क किये गये बकायेदारों की सूची के साथ अपने एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को कार्य की प्रगति से अवगत करायेंगे। समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 उपरोक्त प्रकार के व्यापारियों की सूची प्रति सप्ताह मुख्यालय के संग्रह अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त कर वसूली अधिकारी अपने जनपद के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अमीन/पर्यवेक्षक/संग्रह अधीक्षक की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह गोपनीय रूप से संग्रह अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे अर्थवा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे कि उपरोक्त प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किये जा रहे कार्य सन्तोषजनक हैं। कर वसूली अधिकारियों के इस कार्य का पर्यवेक्षण सीधे संग्रह अनुभाग, मुख्यालय, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।

4. **समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) लखनऊः–**

जैसा कि विदित है कि समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2, लखनऊ को विभिन्न सरकारी विभागों के नोडल अधिकारी के रूप मे नामित किया गया है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि आवंटित विभागों से सम्बन्धित बकाये हेतु सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारियों से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करेंगे एवं योजना से अवगत कराते हुए शीघ्रातिशीघ्र बकाया धनराशि जमा कराने का प्रयास करेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण साप्ताहिक रूप सीधे संग्रह अनुभाग, मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

5. **एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1:–**

- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 समस्त खण्डों के लिए प्रत्येक लोकेशन पर ब्याज माफी योजना– 2020 हेतु तत्काल हेल्प डेस्क

स्थापित करेंगे। हेल्प डेस्क पर एक राजपत्रित अधिकारी के साथ वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक स्तर के कर्मचारी खण्ड कार्यालय में आगन्तुक व्यापारी को बकाया सम्बन्धी समस्त सूचना उपलब्ध करायेंगे एवं आनलाईन आवेदन में सहायता करेंगे। इस आशय की संकलित साप्ताहिक सूचना संग्रह अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित करेंगे कि सम्बन्धित खण्ड के कुल बकायेदार व्यापारियों की संख्या में से ब्याज माफी योजना–2020 में आवेदन करने वाले व्यापारियों की संख्या कितनी है।

- खण्डाधिकारी एवं कर वसूली अधिकारी द्वारा सम्पर्क किए गए व्यापारी के नाम पते से सम्बन्धित रजिस्टर का अनुश्रवण साप्ताहिक रूप से किया जाएगा।
- अमीन/पर्यवेक्षक/संग्रह अधीक्षक को कार्यालय की समस्त वसूली प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कराये जाने सम्बन्धी निर्देश का अनुश्रवण ।
- राजस्व विभाग द्वारा वसूली के जनपदों में जिलाधिकारी के उपलब्ध विभागीय पोर्टल खण्ड के समस्त वसूली प्रमाण पत्र को अंकन सुनिश्चित कराये जाने सम्बन्धी निर्देश का अनुश्रवण।
- ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट) द्वारा बकाया वसूली से सम्बन्धी किये गये कार्य एवं प्रगति का अनुश्रवण करते हुए सूचना साप्ताहिक रूप से संग्रह अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित किया जाना।
- व्यापारिक/अधिवक्ता संगठनों के साथ बैठक कर योजना से अवगत कराना एवं व्यापारियों को प्रेरित करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करेगें।
- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ब्याज माफी योजना–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार के कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रयास, जो उचित एवं आवश्यक समझें–को लागू करेगें, जिससे अधिकाधिक राजस्व की अभिवृद्धि सम्भव हो सके।
- विभागीय पोर्टल http: //comtax.up.nic.in पर "ब्याज माफी योजना–2020" के लिंक पर व्यापारी द्वारा आनलाईन योजना के लिए आवेदन किये जायेंगे।

उक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ